दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड : नई दिल्ली

कार्मिक प्रभाग

(औद्योगिक संबंध प्रभाग)

एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/औ.सं./02126/2011 24 मई, 2019

परिपत्र सं.: औ.सं./10/2019

विषय: **एसटीसी आवासीय अपार्टमेंट आबंटन नियमों में संशोधन**

एसटीसी को आवासीय अपार्टमेंट आबंटन नियम के विषय में जारी परिपत्र सं. औ.सं./15/2018 दिनांक 01.08.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए स्थानांतरित कर्मचारियों के संबंध में मौजूदा नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया गया है :

i) पुराने स्टेशन पर स्थानांतरित कर्मचारी को आबंटित फ्लैट सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से और कर्मचारी के प्रामाणिक अनुरोध पर फ्लैट की उपलब्धता की शर्त पर और यदि उस विशेष श्रेणी के फ्लैट के लिए प्रतीक्षा सूची न हो तो सामान्य लाइसेंस शुल्क पर रखने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, यह अधिकतम तीन साल की अवधि के अधीन होगा और उसके बाद संबंधित स्थानांतरित प्रबंधक को सक्षम प्राधिकारी से नई मंजूरी लेनी होगी।

ii) यदि कर्मचारी पोस्टिंग के पूर्व स्थान पर कंपनी के स्वामित्व वाले आवास को रख रहा है, तो कर्मचारी पोस्टिंग के नए स्थान पर परिवार के आवास के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, डॉरमेटरी आवास, यदि उपलब्ध हो, तो निर्धारित अवधि तक लिया जा सकता है।

iii) इस उद्देश्य से, महाप्रबंधक और उससे ऊपर के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य कर्मचारियों के लिए निदेशक (कार्मिक) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

iv) स्थानांतरित कर्मचारी को पोस्टिंग के नए स्थान पर कोई मकान किराया भत्ता (एचआरए) उस अवधि के लिए देय नहीं होगा जिसके लिए पुराने स्थान पर कंपनी के स्वामित्व वाला आवास रखा गया है।

v) इस परिपत्र के जारी होने की तारीख को ऐसे सभी लंबित मामलों की उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार जाँच की जाएगी।

2. मौजूदा नियमों के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

टी. केरकेट्टा

(टी. केरकेट्टा)

महाप्रबंधक (कार्मिक)

ईमेल द्वारा:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशकगण/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- मुख्यालय के सभी प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक

प्रतिलिपि

- संयुक्त महाप्रबंधक (वित्त)(लेखा एवं स्थापना), मुख्यालय
- सूचना पट्ट
- वेबसाइट

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI

PERSONNEL DIVISION
(I.R. GROUP)

F.No: STC/CO/PER/IR/02126/2011 May, 24th 2019

Circular No: IR/10/2019

Sub: STC Residential Apartment Allotment Rules – Amendment thereof

In partial modification to Circular No.: IR/15/2018 dated 01.08.2018 issued on STC Residential Apartment Allotment Rules, the following amendment is made to the existing rules in respect of transferee employees:

i) Retention of the allotted flat to transferee employee at the old station may be permitted at normal license fee by the Competent Authority at its discretion and on bonafide request of the official subject to availability of flat and if no waiting list is existing for that particular category of flat. However, this will be subject to a maximum period of three years and after that the concerned transferee Manager will have to obtain fresh approval from the Competent Authority.

ii) If the employee is retaining company owned accommodation at prior place of posting then the employee shall not be eligible for family accommodation at new place of posting. However, dormitory accommodation, if available, can be availed up to the prescribed period.

iii) For this purpose, the Competent Authority will be CMD for GMs and above and Director (Per.) for other employees.

iv) No HRA at the new station of posting shall be admissible to transferee employee for the period for which the company owned accommodation is retained at the old station.

v) All such pending cases on the date of issuance of the circular will be examined on the above lines.

2. The other terms and conditions to existing rules shall remain unchanged.

3. This issues with the approval of the Competent Authority.

(T. Kerketta)
General Manager (Pers.)

By E-mail:
- *Exe. Secy. to CMD*
- *Exe. Secys. to Directors/CVO*
- *All CGMs/GMs*
- *All Divisional Heads, CO/Branch Managers*

Copy to
- *JGM(F)(A&E), CO*
- *Notice Board*
- *Website*

Scanned by CamScanner